

राजस्थान सरकार,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

खाता नं० "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व दहीमवा

भू-सूचिका निरीक्षक वेमाली  
तहसीलदार करेड़ा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जालमपुरा पटवार हल्का दहीमवा तहसील करेड़ा  
जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या  
में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के  
सुधार दिये जाते हैं:-

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
2	3	4	5
07 जालमपुरा	7	काठपुर लेहका 1/10 चांडी पल लेहका 1/10 दुहुरा पुर लेहका 1/10 डेवा पुर लेहका 1/10 सुवा पुर लेहका 1/10	दुहुरा पुर लेहका 1/10 चांडी पल लेहका 1/10 दुहुरा पुर लेहका 1/10 डेवा पुर लेहका 1/10 सुवा पुर लेहका 1/10

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 21/10/2021

न्यायालय / 2021 / 07

नियम:-

तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

21/10/21

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा